



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

**NOTICE**

फा. सं.: NCST/ATY-1333/MH/19/2023-APCR


दिनांक: 26/07/2023

डॉ. दयानंद सूर्यवंशी  
स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला - पालघर,  
कचेरी रोड, लोकमान्य नगर, विष्णु नगर,  
पालघर, महाराष्ट्र 401404  
Email Id: [dhopalghar@gmail.com](mailto:dhopalghar@gmail.com)

**विषय: 7 वर्षीय आदिवासी बच्ची कु: छाया सखाराम भोई की सर्पदंश के इलाज के अभाव में मृत्यु के मामले में श्री रामजी मं. संजोत का दिनांक 30.06.2023 का अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री रामजी एम. माहेश्वरी संजोत से दिनांक 04/07/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

  
(हरि राम मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री रामजी माहेश्वरी संजोत,  
बैरक संख्या 1782 के पास -  
एम.आई. सेक्शन, रानसी वेलजी सिरोखा मार्ग,  
उल्हासनगर - 421 005 महाराष्ट्र।  
फोन नंबर 09324297679